

कार्यालय मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
पत्रांक-206 /11सी-कानपुर/22879/2016, दिनांक, लखनऊ जुलाई 28, 2017

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक,
कानपुर मण्डल,
कानपुर।

विषय: कानपुर नगर में कानपुर विकास प्राधिकरण द्वारा जी0टी0रोड किमी0 0.00 से 10.97 तक (कल्याणपुर से बिठूर तक) चौड़ीकरण एवं सड़कीकरण किये जाने हेतु 6.011 हे0 संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं उस पर अवस्थित 137 वृक्षों के पातन की अनुमति।

सन्दर्भ: भारत सरकार का पत्रांक-8बी/यू0पी0/06/19/2017/एफसी/134,दि0 12.07.2017 एवं उ0प्र0शासनका पत्रांक-भा0स0-112/14-2-2017-800(194)/216,दि018.07.2017

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्रों का अवलोकन करने का कष्ट करे (छायाप्रति संलग्न) प्रकरण में भारत सरकार के संदर्भित पत्र द्वारा कतिपय बिन्दुओं पर सूचना/अभिलेख वांछित है।

अतः निर्धारित प्रारूप में भारत सरकार द्वारा 04 बिन्दुओं पर की गयी आपत्तियों का निराकरण कर संशोधित सूचनायें/अभिलेख (बिन्दुवार) निर्धारित प्रारूप में 03 प्रतियों में इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें ताकि प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही सम्भव हो सके।

संलग्नक-उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(डा0 प्रशान्त कुमार वर्मा)
मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पत्र संख्या-206 / तददिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, कानपुर को इस अण्य से प्रेषित कि भारत सरकार अपेक्षित सूचनायें/अभिलेख का निराकरण कर मुख्य वन संरक्षक, कानपुर मण्डल, कानपुर को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करे।
- 2- श्री एम0के0मिश्रा, अधिष्ठापी अभियन्ता, कानपुर विकास प्राधिकरण कानपुर।

(डा0 प्रशान्त कुमार वर्मा)
मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।